(179)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4223—दो/2012 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 21—08—2012 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील मऊगंज जिला रीवा के प्रकरण कमांक 85/अ—12/2011—12.

.....

मोलई सोंधिया तनय औसेरी सौंधिया
निवासी डगडौवा तहसील मऊगंज
जिला रीवा म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

1—जवाहरलाल सोंधिया तनय छोटेलाल सोंधिया
निवासी डगडौवा तहसील मऊगंज
जिला रीवा म0प्र0
2—म0 प्र0 शासन

—— अनावेदकगण

.....

श्री अरसद उल्ला सिददीकी अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0 पी0 पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक क01

.....

आदेश

(आज दिनांक 22/9/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार तहसील मऊगंज जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21—08—2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम डगडौआ न0 1 भूमि न0 5/2 रकवा 0.138 है0 का भूमिस्वामी रामकरण, जयकरण, जबाहरलाल, उमेश कुमार पिता छोटे लाल मुस0 तेरसी पति छोटेलाल कहार दर्ज अभिलेख है। अनावेदक जबाहरलाल आवेदित भूमि का सीमांकन शुल्क जमाकर सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण पंजीबद्व कर हल्का

पटवारी को सीमांकन हेतु आदेश जारी किया गया। पटवारी हल्का द्वारा आदेश के परिपालन में सीमांकन कर सीमांकन प्रतिवेदन, मय फील्ड बुक, पंचनामा, प्रस्तुत किया गया। सीमांकन पर मोलई पिता औसेरी सोधिया द्वारा इस आशयं की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि भूमि का सीमावर्ती भूमि न0 6/2 व 7/1 है जिसका भूमिस्वामी आपत्तिकर्ता है। पटवारी द्वारा आपत्तिकर्ता को किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है। आपत्तिकर्ता के अनुपस्थित में आवेदित भूमि का सीमांकन किया गया है जिसमें 20 कड़ी भूमि आपत्तिकर्ता की आधिपत्य की भूमि शामिल कर दिया गया है। आपत्ति का जबाव आवेदक द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि सरहदी कृषको को हल्का पटवारी द्वारा सीमांकन दिनांक के पूर्व सूचना दिया किन्तु आपत्तिकर्ता जनबूझकर उपस्थित नहीं हुआ। सीमांकन विधिवत किया गया है । आपत्तिकर्ता की आपत्ति निरस्त की गई जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि भूमि न0 6/2 रकवा 0.28 डि0 एवं 7/1 रकवा 0.48 डि0 स्थित ग्राम डगडौवा ज0न0 382 प0 ह0 डगडौवा तहसील मऊगंज की भूमि स्वामी बुदौआ पति मोलई सोधिया दर्ज राजस्व भू–अभिलेख हैं बुदौआ की मृत्यु हो गई है, वारिस पति आवेदक है। जो बुदौआ के मुत्यु के बाद उनके चल अचल संपत्ति का मालिक है। उनके द्वारा यह भी तर्क किया है कि स्व0 बुदौआ के पूर्व पटटेदारिया कुइसी बेवा श्यामलाल कहार थी जो बुदौआ की मां थी उसकी पुत्र वारिस मात्र बुदौआ थी इससे वारसाना नामांतरण बुदौआ के नाम हो गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी कहागयाहै कि आवेदक को यह जानकारी मिलते ही कि दिनांक 10.6.12 को पटवारी ने बिना जानकारी व सूचना दिये आवेदक की भूमि 20 कड़ी नाप कर अनावेदक का सीमा चिन्ह बनवा दिया है । आवेदक ने दिनांक 11.6.12 को उक्त अवैधानिक सीमांकन के संबंध में आपत्ति तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर बिना विचार किये व स्थल पर जांच किये व आवेदक की आपत्ति का निराकरण किये बिना ही सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 11.6.12 की पुष्टि कर दिया। जबकि पंचनामा में दिनांक 10.6.12 का उल्लेख है जिस पर नं. तो फील्ड बुक ही न ही सीमा चिन्ह का ज्ञान कराने का उल्लेख है । प्रतिवेदन दिनांक 11.6.12 को मनमानी तौर पर तैयार कर प्रस्तुत

किया गया है। अंत में निवेदन किया गया है कि दिनांक 11.6.12 का किया गया सीमांकन निरस्त किया जावे।

4– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि दिनांक 11.6.12 का किया गया सीमांकन विधि प्रावधानों से उचित एवं सही है। उसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि आवेदक को सूचना नहीं दी गई है और न ही उसके पंचनामा आदि में हस्ताक्षर/अगुंष्ठ के निशान है। पंचनामा एवं सूचना पत्र पर भी उसके संबंध में कहीं भी यह लेख नहीं किया गया है कि वह अनुपस्थित है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक सरहदी कास्तकार होने के क़ारण एवं सीमांकन के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं किया गया है। तहसीलदार द्वारा अपने आदेश के पैरा 3 में उल्लेख किया गया है कि वह जानबूझ कर उपस्थित नहीं हुआ है। जबकि आवेदक को किसी प्रकार की सूचना ही नहीं दी गई है। इससे धारा 129 के प्रावधानों का सही ढंग से पालन नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि तहसीलदार मऊगंज का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6– परिणामस्वरूप न्यायालय तहसीलदार तहसील मऊगंज जिला रीवा के प्रकरण कमांक 85/अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 21–08–2012 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार तहसील मऊगंज जिला रीवा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः सीमांकन की कार्यवाही कर आदेश पारित करें।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर